न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः अंजलि राजोरिया, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 228 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/241)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 16.03.2022

1. श्री अनिल पुत्र कैलाश, निवासी छायण, जिला प्रतापगढ़।
2. श्रीमती कमला बाई पत्नि श्री कैलाश, निवासी छायण, जिला प्रतापगढ़।
3. सुश्री निकीता पुत्री श्री कैलाश, निवासी छायण, जिला प्रतापगढ़।
4. श्रीमती नारायणी पत्नि गोवर्धन गुर्जर, निवासी छायण, जिला प्रतापगढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री हंसराज पिता रामा गुर्जर, निवासी छायण, जिला प्रतापगढ़।
2. तहसीलदार, सुहागपुरा, तहसील सुहागपुरा, जिला प्रतापगढ़
3. अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. अदिति मोड – अधिवक्ता अपीलांट
2. ऋतु सारस्वत – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. मुरलीधर पालीवाल – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2
   राजकीय अभिभाषक

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़
के प्रकरण संख्या 02 / 2020 निर्णय दिनांक 02.03.2021

निर्णय

दिनांक 16.03.2022

1. अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 02.03.2021 के विरूद्ध दिनांक 16.04.2021 को स्थगन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 के साथ इस न्यायालय में पेश की गई।

2. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन निरस्त हेतु पेश कर निवेदन किया कि मौजा छायण, पटवार हल्का सुहागपुरा में स्थित आराजी नम्बर 180 मी. रकबा 0.40 हैक्टेयर मी. का आवंटन अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा राजस्व अभियान के तहत दिनांक 03.01.2008 को मुकाम सुहागपुरा पर रेस्पोडेंट हंसराज पिता रामा गुर्जर, निवासी छायण को किया गया था, जबकि मौजा छायण की आराजी नम्बर 180 मी. रकबा 0.40 हैक्टेयर पर अपीलांट्स व उनके पूर्वजों का कब्जा 20–25 वर्षो से लगातार चला आ रहा है। रेस्पोडेंट का उक्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अपीलांट ने उक्त आराजी पर सोयाबीन, बाजरा, तिल व मक्का की फसल बौ रखी है। ऐसी सुरत में रेस्पोडेंट के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रकरण संख्या 02/2020 निर्णय दिनांक 02.03.2021 से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02.03.2021 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः– ***"हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन की रोशनी में ज्ञात हुआ कि अपीलांट्स ने माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष भी उक्त***

आराजी बाबत अपील प्रस्तुत की हुई है। चूंकि इस न्यायालय व राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील की विषय वस्तु एक ही है पक्षकारान भी एक ही है। अतः सीपीसी में प्रदत्त नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।"

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

4. यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता अदिति मोड उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ऋतु सारस्वत उपस्थित तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित, उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 20.12.2021 को सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्ती के प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर केवल मात्र इस आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है कि अपीलांट्स ने राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष भी उक्त आराजी की अपील प्रस्तुत की हुई है चूंकि इस न्यायालय एवं राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील की विषय वस्तु एवं पक्षकारान एक ही है अतः सीपीसी में प्रदत्त नियमों को ध्याम में रखते हुए अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बगैर पत्रावली एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार कर धारा 10 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों से बाधित मानकर प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जबकि अपीलांट द्वारा नियम 14(4) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायालय को आवंटन निरस्ती के संबंध में अधिकार प्रदान करता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी,

पीपलखूंट के न्यायालय में एक वाद अंतर्गत धारा 88–89 बाबत खातेदारी घोषणा के संबंध में पेश किया, मौके पर अपीलांट का कब्जा होने के बावजूद अपीलांट को पक्षकार बनाये बगैर दिनांक 02.03.2020 को रेस्पोडेंट संख्या 1 क पक्ष में निर्णय पारित किया गया जिसकी जानकारी मिलने पर अपीलांट द्वारा एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसकी विषय वस्तु भिन्न है। आराजी संख्या 180 रकबा 0.40 हैक्टेयर पर अपीलांट्स व उनके पूर्वजों का कब्जा 20–25 वर्षो से लगातार चला आ रहा है। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार रेस्पोडेंट के खाते कुल 4.32 हैक्टेयर भूमि यानि 20 बीघा 12 एयर भूमि थी। इस प्रकार रेस्पोडेंट भूमिहीन की श्रेणी में नही आता है। आवंटन अधिकारी ने रेस्पोडेंट को आवंटन किया किन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा आज तक कब्जा देने का आदेश जारी नही किया गया है। इसी प्रकार विपक्षी ने आवंटन शर्तो की भी पालना नही की है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में जो तथाकथित रूप से आवंटन पत्र जारी किया गया है उसमें भी कई तरह की काट–छांट जैसे आराजी संख्या की काट–छांट की गई है तथा उक्त आवंटन पत्र में की गई काट–छांट पर आवंटन अधिकारी द्वारा न तो अपने प्रतिहस्ताक्षर किये गये है न ही रेस्पोडेंट को कोई नया आवंटन पत्र जारी किया गया है ऐसे में उक्त आवंटन पत्र किसी प्रकार से विश्वसनीय नही होकर उक्त आंवटन पत्र विधितः संवहनीय नही है जिससे रेस्पोडेंट के पक्ष में जारी आवंटन पत्र को निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में विविध न्यायिक दृष्टांत एवं निनिश्चय क्रमशः RRD 2005, DNJ 2017, RBJ 2013 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाने बाबत निवेदन किया गया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि मौजा छायण की आराजी नम्बर 180 मीन रकबा 0.40 हैक्टेयर पर

रेस्पोडेंट का करीब 20 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा होने से रेस्पोडेंट को उक्त आराजी आवंटित की गई। उक्त आराजी पर अपीलांट का कभी भी कब्जा नही रहा है। रेस्पोडेंट ने विधि सम्मत कब्जे के आधार पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। रेवेन्यु मशीनरी ने मौके की जांच कर रेस्पोडेंट का कब्जा होने से विधि अनुसार उक्त आराजी का आवंटन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 02.03.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस के समर्थन में विविध न्यायिक दृष्टांत एवं निनिश्चय क्रमशः RRD 1993, RRT 2014 (2) का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय, अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ का निर्णय दिनांक 02.03.2021 को यथावत रखवाया जाने बाबत निवेदन किया गया।

7. अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 02.03.2021 से पारित निर्णय नियमानुसार होकर उचित है। अतः उक्त अपील प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया गया।

8. प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपील अंदर मयाद पेश हुई है। अब हम अपील में अपीलाण्ट द्वारा वर्णिज उजरात के विवेचन व बहस तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के बरूए गुणावगुण पर विवेचन करना उचित समझते हैं। प्रकरण में वस्तुतः अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 को वर्ष 2008 में आवंटित ग्राम छायण, पटवार हल्का सुहागपुरा, तहसील पीपलखूट की आराजी नम्बर 180 मीन रकबा 0.40 हैक्टेयर भूमि आवंटन के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण अपीलाण्ट काबिज थे तथा उन्होंने ही इस भूमि को उपजाउ व योग्य बनाया। विपक्षीगण रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 का उक्त

आराजी पर कभी कब्जा नही रहा है व नही उसके खाते की आराजी से लगी हुई भी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 02.03.2021 प्रकरण संख्या 02/2020 से अपीलाण्ट्स प्रार्थीगण का आवंटन निरस्तीकरण का आवेदन खारिज कर दिया जिससे रूष्ठ होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है। अपीलाण्ट द्वारा जो प्रमुख आधार लिये गये हैं, वो यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगेर केवल मात्र इस आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र निरस्त किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष भी उक्त आराजी बाबत अपील प्रस्तुत की हुई है, चूंकी इस न्यायालय एवं राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील की विषयवस्तु एक ही होने से सीपीसी में प्रदत्त नियमों के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जो गलत है।

9. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री हंसराज को आवंटन मिसल संख्या 06/2008 के जरिये आराजी संख्या 180 रकबा 0.40 हैक्टेयर का आवंटन किया गया था जिसका राजस्व अभिलेख में अंकन नही होने से एक वाद अंतर्गत धारा 88–89 बाबत खातेदारी घोषणा के संबंध में पेश किया जिसे उपखण्ड अधिकारी, पीपलखूंट द्वारा स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 02.03.2020 को डिक्री जारी कर रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री हंसराज को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त डिक्री के संबंध में वर्तमान अपील के अपीलांट्स ने राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसकी प्रमुख विषयवस्तु उक्त आवंटन निरस्ती की है। साथ ही उक्त आवंटन के निरस्ती के संबंध में अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा समान विषयवस्तु एवं एक ही पक्षकार होने से सीपीसी में प्रदत्त नियमों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया। यह

न्यायालय पाता है कि अपीलांट्स द्वारा हस्तगत आवंटन के संबंध में राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय में अपील लम्बित रहने के दौरान उसकी इच्छानुसार अनुतोष प्राप्त नही होने पर बाईपास रास्ता अपना कर आवंटन निरस्ती की विषयवस्तु को हस्तगत अपील बनाकर वर्तमान अपील प्रस्तुत की है, जो यह प्रकट करता है कि अपीलांट द्वारा वांछित दाद हेतु बहुल वाद का रास्ता अपनाया जाकर अनुतोष चाहा जा रहा है, जो अनुचित है।

10. अपीलाण्ट का अन्य कथन यह है कि रेस्पोंडेण्ट भूमिहीन नहीं है, परन्तु उसके भूमिहीन नहीं होने को लेकर उसके द्वारा कोई प्रभावी साक्ष्य जिससे उसके पास 4 हैक्टेयर से अधिक भूमि हो, प्रमाणित नहीं करवाया है। अपीलांट का अन्य उज्र यह है कि रेस्पोडेंट को मौके पर कब्जा सुपुर्द करने के संबंध में कोई आदेश जारी नही किया गया है तथा आवंटन नियम 1970 के नियम 13 एवं निमय 15 की पालना नही की गई है। अपीलांट द्वारा इस प्रकार के कोई तथ्य प्रमाणित नहीं करवाये हैं।

11. अपीलांट्स द्वारा दिये गये न्यायिक दृष्टांत के तथ्य हस्तगत प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नही होते है।

12. उपरोक्त समग्र विवेचन के दृष्टिगत यह न्यायालय पाता है कि अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय में कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटि नहीं है, अतएवं अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

(अंजलि राजोरिया, IAS)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया, IAS)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर